WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

AUGUST 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- PM Modi: e-RUPI to deliver 'targeted, transparent, leakage-free' benefits
- No plan to print currency notes to tide over economic crisis: FM Nirmala Sitharaman
- एफडी रिन्यू न की तो ब्याज दर साधारण
- वित्तीय जरुरत के लिए एफडी तोड़ने से बेहतर है उस पर कर्ज लेना
- निर्यातकों को ब्याज में छूट सितम्बर तक
- असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों को सिडबी देगा सस्ता कर्ज
- बैंक खाते के बिना कर सकेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस
- दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना महंगा
- पॉजिटिव पे-सिस्टम
- आयकर रिफंड मिलने में हो सकती है देरी
- रिटर्न में चूक तो 15 अगस्त से नहीं निकलेगा ई-वे बिल
- पांच करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाले GST रिटर्न कर सकेंगे सेल्फ-सर्टिफाई, CA की जरुरत नहीं
- जल्द जीएसटी में रह जाएंगी 3 दरे : CEA सुब्रमण्यम
- थोक-खुदरा विक्रेता ऐसे ले एमएसएमई लोन का लाभ
- Govt committed to clear MSME dues within 45 days': Nirmala Sitharaman
- एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की सुविधा
- Govt eases procedure for filing anti-dumping applications by fragmented industries
- सभी विकास प्राधिकरणों का होगा अब एक कॉमन पोर्टल
- निर्यात योजनाओं पर प्रोत्साहन लाभ स्थगित
- यूपीसीडा ने सालाना मेंटीनेंस शुल्क घटाया, निवेश में होगा इजाफा
- Govt changes rules related to incorporation of companies
- औद्योगिक मंजूरी के लिए एकल खिड़की में दिसंबर तक पूरा देश
- बिजली से जुडी सभी सेवाए होंगी ऑनलाइन
- बिजली समस्या का निस्तारण न हो तो यहां करे शिकायत
- मोबाइल कंपनियों की तरह मिलेगा विकल्प, बिजली कंपनी आप बदल सकेंगे
- इंडिया पोस्ट ने शुरू की नई सेवा, डाकघर में रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी
- डाकिया आपके घर आकर आधार में अपडेट करेगा
- Crude import bill rises 190% to $25 billion in Q1FY22
- India targeting 20% ethanol-blending with petrol by 2023-24: Piyush Goyal
- पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चैम्बर ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र
- सड़को और उसके किनारे की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन
- राजमार्गो के किनारे नए शहर बसाने की तैयारी
- पोर्टल के जरिये घर बैठे मिलेंगी कई सेवाएं
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराये श्रमिक
- हवाई जहाज उड़ाना सिखाएगा मेरठ

PM Modi: e-RUPI to deliver 'targeted, transparent, leakage-free' benefits

Launching the digital payments solution e-RUPI, Prime Minister Narendra Modi said the voucher-based system will "play a huge role in making DBT (direct benefit transfer) more effective in digital transactions in the country and give a new dimension to digital governance".

"This will help everyone in targeted, transparent and leakage free delivery … e-RUPI is a symbol of how India is progressing by connecting people's lives with technology," he said.

The e-RUPI platform has been developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare, and the National Health Authority is a cashless and contactless digital payments medium, which will be delivered to mobile phones of beneficiaries in form of an SMS-string or a QR code.

This people-specific and purpose-specific payments system will essentially function like a prepaid gift-voucher that will be redeemable at specific accepting centres without any credit or debit card, a mobile app or internet banking. E-RUPI will connect the sponsors of the services with the beneficiaries and service providers in a digital manner without any physical interface.

The Prime Minister also spoke about how technology was being leveraged to bring in transparency and integrity in transactions while making available newer opportunities for the poor. "For reaching today's unique product, foundation was prepared over the years by creating the JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) system which connected mobile and Aadhaar. Benefits of JAM took some time to be visible to people and we saw how we could help the needy during the lockdown period while other countries were struggling to help their people," he said.

He added that so far, over Rs 17.5 lakh crore has been transferred directly to the accounts of the people via DBT through over 300 schemes. “The biggest benefit of this all is that Rs 1.78 lakh crore were prevented from going to the wrong hands.”

According to the government, e-RUPI — built on NPCI’s UPI system — would ensure leak-proof delivery of welfare services. It will initially be deployed alongside the National Digital Health Mission and to support the vaccine drive, but added that it can also be used for delivering services under schemes meant for providing drugs and nutritional support.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubham@ndf.vsnl.net.in

PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED

(Formerly Known as Shubham Fibres (P) Ltd.)

B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188

Email: shubham@ndf.vsnl.net.in

No plan to print currency notes to tide over economic crisis: FM Nirmala Sitharaman

Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the economy is on the path of recovery and ruled out any plan to print additional currency notes to tide over economic crisis, as suggested by some economists.

"No sir," the FM said, in a response to a question on whether there is any plan to print currency to tide over the crisis. "The fundamentals of the economy remain strong as gradual scaling back of lockdowns, along with the astute support of Atmanirbhar Bharat Mission has placed the economy firmly on the path of recovery from the second half of FY 2020-21," she said.

Citing examples she added that the government had announced a special economic and comprehensive package of Rs 29.87 lakh crore under AtmaNirbhar Bharat (ANB) to combat the impact of the pandemic, to revive economic growth and to bolster employment during 2020-21. Replying to another question, Sitharaman said, the impact of the second Covid-19 wave is expected to be muted given localised containment measures and rapid upscaling of the vaccination drive.

Earlier this month economist Pinaki Chakraborty had said the Reserve Bank of India (RBI) should not print money to finance the fiscal deficit as it shall lead to fiscal profligacy. "I don't think the RBI should ever do that. We stopped it in 1996 through a memorandum of understanding (MoU) between the RBI and the government. We should not go back to it again," Chakraborty, who is director of the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), said.

Meanwhile economists like Abhijit Banerjee, had suggested the government to resort to printing more currency notes to support the economy to help poor and to protect livelihood. "I think we should absolutely do it. We need resources to support the poor

as well as to deal with a bunch of potential defaults on loans -- the latter was avoided in the first wave by some government credit guarantees.

Plus we need the resources to buy enough vaccines. This is the ideal moment to do that. And my guess is that the government is unnecessarily scared by the bond market's possible reaction," Banerjee said in May in one of his media interactions.

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

एफ डी रिन्यू न की तो ब्याज दर साधारण

बैंक के एफडी धारको के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने कोरोना काल में एफडी के नियमो में बड़ा बदलाव किया है। अब तय सीमा तक ही एफडी पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। एफडी की मियाद पूरी होने से पहले उसे अनिवार्य रूप से रिन्यू कराना होगा, तभी ग्राहक को एफडी पर तय चक्रवृद्धि ब्याज दर का लाभ मिलेगा।

अब तक एफडी की मेच्योरिटी पूरी होने की दशा में बैंक उसे खुद ही पूर्व अवधि के लिए रिन्यू कर देता था। इस कारण बैंक ग्राहक भी निश्चिंत रहा करते थे। 2 जुलाई से आरबीआई ने इस नियम में बदलाव करने संबंधी फरमान जारी कर दिया है। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक थॉमस मैथिव की ओर से जारी निर्देशों के तहत एफडी पर मियाद पूरी होने के बाद उस पर बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज मिलेगा। एफडी रिन्यू कराने पर ही ज्यादा ब्याज दिया जाएगा।

वित्तीय जरुरत के लिए एफडी तोड़ने से बेहतर है उस पर कर्ज लेना

कोरोना संकट के दौरान एफडी आपकी वित्तीय जरूरते पूरी करने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह दो तरीके से वित्तीय संकट से निकाल सकता है। पहला एफडी पर कर्ज ले सकते है और दूसरा प्री-मैच्योर निकासी कर सकते है। यानी समय से पहले इसे तोड़ सकते है। जानकारों का मानना है कि पहले विकल्प का चुनाव ज्यादा बेहतर है। जोखिम नहीं होने के कारण एफडी पर कर्ज आसानी से और कम ब्याज पर मिल जाता है। एसबीआई समेत कई बैंक इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया करा रहे है। वहीं, दूसरे विकल्प का चयन कर भी आप वित्तीय समस्या को सुलझा सकते है। हालांकि, प्री-मैच्योर निकासी पर न सिर्फ आपको कम ब्याज मिलता है, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ता है।

देना होगा 2 फीसदी तक ज्यादा ब्याज :

पहले विकल्प के तहत कर्ज लेने पर आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज से 1-2 फीसदी ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। मान लीजिये, बैंक एफडी पर 6 फीसदी ब्याज दे रहा है तो आपको 7-8 फीसदी ब्याज पर आसानी से कर्ज मिल सकता है। पैसबाज़ार डॉट कॉम के मुताबिक़, बैंक एफडी की रकम का 85-95 फीसदी तक कर्ज दे रहे है। अगर आपने 1 लाख रूपये का एफडी कराया है तो आपको 85000-95000 रूपये तक कर्ज आसानी से मिल सकता है।

निर्यातकों को ब्याज में छूट सितम्बर तक

आरबीआई ने निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के जहाज में लदान से पहले और उतरने के बाद ब्याज छूट योजना की अवधि तीन महीने बढ़ाकर सितम्बर तक कर दी है।

असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों को सिडबी देगा सस्ता कर्ज

फिनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) की मदद से असंगठित क्षेत्र के कारोबारियों को सस्ता लोन देने की तैयारी चल रही है। इस दिशा में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पहल की है। कर्ज की मात्रा के लिए डिजिटल माध्यम व फिनटेक के इस्तेमाल से उन कारोबारियों के टर्नओवर और उनके रोजाना के कारोबार की जानकारी ली जाएगी।

सिडबी के सीएमडी एस. रमन के मुताबिक़ बैंक बड़ी रिटेल के चेन को सप्लाई देने वाले छोटे-छोटे कारोबारियों को लोन देगा। इस दिशा में जिन्होंने बिग बास्केट जैसी ऑनलाइन चेन के साथ करार किया है। रमन के मुताबिक़ बिग बास्केट में विभिन्न चीजों को सप्लाई देने वाले सैकड़ो ऐसे छोटे कारोबारी है जिनके लोन का कोई आधार नहीं है। ऐसे कारोबारियों को स्थानीय कर्जदाताओं से ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। कई बार ऐसे कर्ज की दर 40% तक होती है। सिडबी ऐसे कारोबारियों को 14-18% तक की दर से लोन देने की कोशिश कर रहा है। सिडबी की तरफ से लोन के अप्लाई के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर मात्र 25 मिंटो में लोन की प्रोसेसिंग हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर अन्य बैंको को भी लिया गया है। प्लेटफॉर्म पर लोन आवेदन मिलने के बाद वहां मौजूद अन्य बैंक भी उन्हें लोन की पेशकश कर सकते है। रमन के मुताबिक़ छोटे कारोबारियों को संगठित लोन के दायरे में लाने को फिनटेक की मदद ली जा रही है।

बैंक खाते के बिना कर सकेंगे एनईएफटी और आरटीजीएस

ग्राहकों को एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक खातों की जरुरत नहीं होगी। रिज़र्व बैंक 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी यह देने की घोषणा की हैं।

आरबीआई ने इच्छुक कंपनियों को आवेदन कराने के लिए कहा है। आवेदन के लिए कंपनियों के पास आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट प्रमाण पत्र होना जरुरी है।

दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना महंगा

इस महीने से दूसरे बैंको के एटीएम से रकम निकालने में 15 के बजाय 17 रूपये शुल्क लगेगा। यह वृद्धि 9 साल बाद हुई है और इससे एटीएम रखरखाव के खर्चो को पूरा किया जाएगा। वहीं गैर वित्तीय लेनदेन के लिए शुल्क 5 से 6 रूपये तक बढ़ाया गया है।

हफ्ते के सातो दिन वेतन-पेंशन भुगतान :

एक अन्य अहम बदलाव में अब हफ्ते के सातो दिन वेतन, पेंशन, बिल का भुगतान हो सकेगा। बैंक अगस्त के महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस सेवा को हफ्ते के सातो दिन प्रभावी करेंगे। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्ते, म्युचुअल फंड के भुगतान भी सातो दिन हो सकेंगे। आरबीआई ने जून में इन बदलावों की घोषणा की थी।

पॉजिटिव पे-सिस्टम

चेक के जरिए पेमेंट को लेकर होने वाले फ्रॉड पर काबू पाने के लिए रिज़र्व बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया था। लेकिन अब 15 अगस्त से इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा।

आयकर रिफंड मिलने में हो सकती है देरी

आयकर विभाग की नई वेबसाइट की दिक्कतों से आम लोग, सीए के साथ-साथ आयकर अधिकारी भी परेशानी का सामना कर रहे है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि अगर नई वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को जल्द सुधारा नहीं गया तो रिफंड भी अटकने शुरू हो सकते है। इससे करदाताओं को रिफंड देने में देरी हो सकती है।

रिफंड मामले में पिछले साल विभाग का रिकॉर्ड अच्छा था लेकिन इस साल पोर्टल बेहद धीमी रफ़्तार और अधूरा चल रहा है, आने वाले दिनों में विभाग के पास मामले बड़ी संख्या में इकठ्ठा होने की आशंका है जिससे इनका निपटारा भी तेजी से नहीं हो पाएगा। आयकर अधिकारी मामलो का सत्यापन करने के बाद ही उनकी स्क्रूटनी करते है और रिफंड की प्रक्रिया शुरू करते है।

खामियों की सूची बनाई जा रही :

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ नई वेबसाइट में आ रही कमियों को अधिकारियों ने उनकी सूची बनानी शुरू कर दी है। इसके बाद वित्तमंत्री को वो सूची सौंप कर उन्हें दूर करने की अपील की जाएगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक़ पोर्टल पर किसी भी मामले की स्क्रूटनी करना अधिकारियों के लिए असंभव सा हो गया है क्योंकि पिछले रिटर्न से जुड़े आंकड़े नजर ही नहीं आ पा रहे है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि पोर्टल पर रोजाना 40 हजार रिटर्न दाखिल किये जा रहे है लेकिन अधिकारियों के सामने आ रही दिक्कतों से इनकी स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है।

विवादित मामले भी अटके :

साथ ही टैक्स से जुड़े विवादित मामलो का निपटारा विभाग के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है। लम्बे समय से पेंडिंग अपील की सुनवाई प्रभावित हो रही है। कई मामलो से जुड़े ऑनलाइन नोटिस भी लोगो को वेबसाइट जरिए ही मिलते थे। पूरी प्रक्रिया की निर्भरता ऑनलाइन हो गई थी।

सरकार का दावा :

वित्तमंत्रालय का दावा है कि इस मामले को अगस्त के पहले हफ्ते तक सुलझा लिया जाएगा। जून महीने में लॉन्च के बाद से ही लगातार इन्फोसिस की बनाई आयकर की नई वेबसाइट में दिक्कते ही दिक्कते आ रही है। वित्तमंत्रालय के अधिकारियों ने इन्हे दूर करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंडिया के साथ मिलकर इनफ़ोसिस को समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए थे। पिछले कुछ समय में कुछ दिक्कतों को सुधारा भी गया है लेकिन पूरी तरह पहले जैसी वेबसाइट होने में इस पोर्टल को समय लग सकता है।

कम नहीं हो रही मुश्किलें :

आयकर विभाग की नई वेबसाइट में पासवर्ड रिसेट, नया पेनकार्ड अपलोड करना, फॉर्म 26 एएस देखना, पुराने इनकम टैक्स रिटर्न देखना, रिफंड से जुडी अर्जी लगाना, पुरानी डिमांड की जानकारी और इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन से जुड़े विकल्प का इस्तेमाल करने जैसी मुश्किलें है।

रिटर्न में चूक तो 15 अगस्त से नहीं निकलेगा ई-वे बिल

जीएसटी रिटर्न भरने वाले करदाता ही 15 अगस्त 2021 से ई-वे बिल निकाल सकेंगे। जिन कारोबारियों ने रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें ई-वे बिल जारी करने पर रोक लगा दी जाएगी। विशेषज्ञो का कहना है कि इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योकि बड़ी संख्या में जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है।

जीएसटीएन ने कहा है कि सरकार ने करदाताओं के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल से ई-वे बिल निकालने पर 15 अगस्त 2021 से फिर रोक लगाने का फैसला किया है। इस अवधि के बाद सिस्टम फॉर्म जीएसटीआर-3बी या फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में भरे गए तथ्यों की जांच करेगा और ऐसा नहीं करने पर ई-बिल सृजित करने पर रोक लगाएगा। इसके तहत जिस भी करदाता ने अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए जून 2021 तक दो या अधिक रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी में दाखिल नहीं किया है या दो या इससे अधिक रिटर्न जीएसटी सीएमपी-08 में जमा नहीं किया है, वह 15 अगस्त के बाद ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने पिछले साल महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिलों नहीं करने वालो के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक का फैसला रद्द कर दिया था।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut , Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

पांच करोड़ से अधिक बिजनेस करने वाले GST रिटर्न कर सकेंगे सेल्फ-सर्टिफाई, CA की जरुरत नहीं

केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब 5 करोड़ रूपये से ज्यादा कारोबार करने वाले जीएसटी टैक्सपेयर्स अपने एनुअल रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे और इन्हे इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरुरत नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआइसी ने इस बारे में निर्देश जारी किया है।

जीएसटी के तहत 2020-21 के लिए 2 करोड़ रूपये तक के सालाना कारोबार वालो को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए एनुअल रिटर्न जीएसटीआर-9/9A दायर करना अनिवार्य है। इसके अलावा 5 करोड़ रूपये से अधिक के कारोबार वाले टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9C के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरुरत होती थी। इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किया जाता है।

नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटीटी नियमो में संशोधन सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी नियमो में संशोधन किया है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक के कारोबार वाले टैक्सपेयर को एनुअल रिटर्न के साथ सेल्फ-सर्टिफाई समाधान विवरण देना होगा। इसके लिए सीए के सर्टिफिकेशन की जरुरत नहीं होगी।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401
Phone No.: 01233-271137
Email: sales@sangalpapers.com
Website: www.sangalpapers.com

जल्द जीएसटी में रह जाएंगी 3 दरे : CEA सुब्रमण्यम

केंद्र सरकार एकबार फिर वस्तु व सेवा कर के स्ट्रक्चर में बदलाव की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि जल्द ही 2 स्लैब का विलय कर जीएसटी स्ट्रक्चर में सिर्फ तीन दरे रखने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये बदलाव निश्चित तौर पर होना ही है। जीएसटी में तीन दर का ढांचा होना बहुत ही जरुरी और अहम है। लिहाजा, केंद्र सरकार इस मामले पर निश्चित तौर पर जल्द ही फैसला लेगी।

थोक-खुदरा विक्रेता ऐसे ले एमएसएमई लोन का लाभ

थोक और खुदरा व्यापारी अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आसानी से लोन ले सकते है। केंद्र सरकार ने हाल ही में थोक और खुदरा व्यापारियों को एमएसएमई दायरे में लाने का एलान किया था। इस फैसले के बाद एमएसएमई लोन का फायदा थोक और खुदरा व्यापारी उठा सकते है। इसके लिए उन्हें उद्यम पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।

सुविधा का लाभ लेने के लिए सबसे पहले कारोबारी को msme.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन को चुनना होगा। इसके बाद पंजीयन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमएसएमई की नई परिभाषा में निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार पर बनाया गया है।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

Govt committed to clear MSME dues within 45 days': Nirmala Sitharaman

Union Finance minister Nirmala Sitharaman reiterated the Centre's commitment that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) will receive their pending payments within the 45-day deadline set by the government. She was replying to a question on the issue in the Lok Sabha.

"I have over the last year (2020) reviewed it from the point of view of central government and various departments which owe money to the MSMEs, inclusive of public sector undertakings (PSUs). We have made sure that standard, as per rule 45 days, be not crossed and all dues be paid from the government side to the MSMEs," Sitharaman said.

The minister added that the digital platform where MSMEs payments can be discounted is very actively encouraged by the government.

"As fas as the central government is concerned, we have taken this position that any pending payment will have to be given within 45 days and I a personally monitoring it," said Sitharaman.

Talking about the Goods and Services Tax (GST) payments, the finance minister said the GST Council will have to take the final decision in this regard. "The GST Council will have to take a response on how they want the states also to get into this scheme of things. When we say governmetn dues, they are not just central government dues, or central PSU dues, but also from state governments and state government-owned PSUs," said Sitharaman.

MSMEs play a significant role in nation-building and makign the economy stronger. They contribute about 29 per cent to the country's Gross Domestic product (GDP) and employ more than 11 crore people.

Around 1.09 crore MSME borrowers have been provided with guarantee support amounting to ₹2.73 lakh crore as of July 2 this year under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), MSME minister Narayan Rane said in the Rajya Sabha last week.

The scheme was launched for an emergency credit line of up to ₹4.5 lakh crore to businesses including MSMEs and the same is backed by 100 per cent central government guarantee.

Rane said that MSME loan accounts with an aggregate amount of ₹55,333 crore have been restructured by public sector banks till June 25 this year.

In a separate reply, he said since the inception of the Prime Minister's Employment Generation Programme, till July 9, 6,97,612 units have been set up (including those by farmers) with MM (margin money) subsidy of ₹16,688.17 crore.

एमएसएमई क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की सुविधा

एमएसएमई को कार्यशील पूंजी के लिए राहत देते हुए संसद ने फैक्टरिंग विनियम (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने 28 जुलाई 2021 को बिना चर्चा विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

राज्यसभा में बिल पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र लगातार प्राप्तियों में देरी की शिकायत करता रहा है। बिल में प्राप्तियों को किसी तीसरे को बेचने का प्रावधान है। अभी सिर्फ 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया (एनबीएफसी) है, जो इन्हे वित्तीय सहायता देती है। संशोधन के बाद मदद के लिए 90 हजार एनबीएफसी भी मौजूद रहेंगे। तीसरे पक्ष से भुगतान होने पर व्यवसाय ढंग से चल सकेंगे।

Govt eases procedure for filing anti-dumping applications by fragmented industries

The government has simplified the procedure for filling applications seeking anti-dumping duty investigations by fragmented industries, a move aimed at promoting ease of doing business and expediting trade remedy measures for small and micro units.

According to a notice of the Directorate General of Trade Remedies (DGTR), where the industry is fragmented and consists of an excessively large number of domestic producers, the application for antidumping or countervailing duty investigation can be filed by an association on behalf of the domestic industry.

However, it said, such domestic producers must have at least 50 per cent share in total eligible domestic production of the product, over which antidumping duty is being requested.

As per the simplified procedure, all the domestic producers in such cases would not be required to provide detailed data like labour and per unit power cost, instead, all such producers will be required to file "basic injury information" such as turnover, installed capacity, exports, and domestic sale

"The authority (DGTR), for the purpose of determining injury margin may limit detailed examination of applicant domestic producers to a limited number of domestic producers," it added.

The directorate will use sampling methods under which a limited set of producers would have to provide complete data or information.

Earlier all the applicants have to provide complete and detailed data with the application for such investigations.

The DGTR from time to time used to receive requests for imposition of trade remedy measures from domestic producers forming part of fragmented industries. It has been noticed that genuine difficulties are many a times encountered by such domestic

producers in complying with the existing procedures and consequently they remain deprived of the relief from trade remedy measures.

"In order to overcome difficulties faced by fragmented industries in India in complying with the existing procedures and norms, a simplification exercise needs to be attempted for ease of doing business. It has therefore been decided that the following guidelines be applied in seeking information from such domestic producers during the course of Anti-dumping (AD)/Countervailing duty (CVD) investigations," it said.

Further the directorate has also taken certain more measures to promote ease of doing business such as streamlining of the anti-dumping questionnaire format for user industry; simplification of importer's questionnaire to be filed by unrelated importers in such probes; simplification of exporter's questionnaire to be filed by foreign producers / exporters in such investigations.

It added that there have been representations from domestic producers and their associations for simplification of the existing application formats.

"Accordingly, to meet their demands as also to fulfil the objective of reduction of compliance burden for citizens and business, the existing application formats have been simplified and aligned with the updated act and rules. Requirement of non-essential and repetitive information has been dispensed with. Some formats have been deleted altogether whereas some others have been merged," the DGTR said in another notice.

The directorate is an investigation arm of the ministry which deals with anti-dumping duty, safeguard duty, and countervailing duty. These duties are trade remedy measures, provided under an agreement of the World Trade Organisation (WTO) to its member countries

They are used to provide a level-playing field to the domestic industry in case of dumping of goods, significant increase in imports and subsidised imports.

सभी विकास प्राधिकरणों का होगा अब एक कॉमन पोर्टल

विकास प्राधिकरणों में आवंटियों को शोषण से दिलाने के लिए सरकार अब कॉमन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए आवास विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। एकीकृत पोर्टल बनने से सभी विकास प्राधिकरण एक प्लेटफार्म पर आ जायेंगे और आवंटियों को भी अपने काम के लिए अधिक भागदौड़ नहीं करनी होगी। यानी आवंटी आसानी से जरुरत की जानकारी पाने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेगा।

निर्यात योजनाओं पर प्रोत्साहन लाभ स्थगित

वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात योजनाओं के तहत विभिन्न प्रोत्साहन लाभों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने आवंटन प्रक्रिया में बदलाव को इसकी वजह बताया है। निर्यातकों को मर्चेंडाइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस), सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआईएस), रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज (आरओएसएल) और रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज (आरओएससीटीएल) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निर्यात की प्रकृति के आधार पर केंद्र सरकार निर्यातकों को ड्यूटी क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करती है। निर्यातक इनका उपयोग बेसिक कस्टम ड्यूटी समेत विभिन्न शुल्कों के भुगतान में कर सकते है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन प्रक्रिया में बदलाव किये जा रहे है।

PASWARA PAPERS LIMITED

PASWARA GROUP

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

यूपीसीडा ने सालाना मेंटीनेंस शुल्क घटाया, निवेश में होगा इजाफा

औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर, मुज़फरनगर एवं पिलखनी, सहारनपुर में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने तीव्रगति क्षेत्र एवं मंदगति क्षेत्र में सालाना मेंटीनेंस शुल्क की दरों में नए सिरे से कमी तय करते हुए की है। क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि सालाना मेंटीनेंस शुल्क की दरों में कमी से बाहरी निवेश में भारी इजाफा होगा। उद्योगपति निवेश के लिए आकर्षित होंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा तथा पूर्व के उद्यमियों को बहुत राहत मिलेगी।

राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र बेगराजपुर, मुज़फ्फरनगर एवं पिलखनी, सहारनपुर में तीव्रगति क्षेत्र एवं मंदगति क्षेत्र की दरें प्रतिवर्ग मीटर वार्षिक निर्धारित की गई है, जो वर्तमान में लागू होंगी। उन्होंने बताया कि सालाना मेंटीनेंस शुल्क की पूर्व और अब की दरें (प्रति वर्गमीटर) मंदगति औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 12 रूपये तथा प्रभावी दर 10 रूपये, 25 से 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 12 रूपये तथा प्रभावी दर 8 रूपये तथा 50 से 100 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 12 रूपये तथा प्रभावी दर 6 रूपये होगी। तीव्र एवं अतितीव्र औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 24 रूपये तथा प्रभावी दर 20 रूपये, 25 से 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 16 रूपये तथा 50 से 100 एकड़ तक के क्षेत्रफल पर मौजूदा दर 24 रूपये तथा प्रभावी दर 12 रूपये होगी।

यूपीसीडा के फैसले से उद्यमियों को मिलेगा लाभ :

क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सतीश कुमार ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए यूपीसीडा ने औद्योगिक क्षेत्रो के औद्योगिक, वेयर हाउसिंग और गोदामों के लिए भूखंडो का क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो की अधिकतम सीमा को 66 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

Govt changes rules related to incorporation of companies

The government has amended the rules pertaining to incorporation of companies under the Companies Act, 2013 and the changes will come into effect from September 1. The

corporate affairs ministry, which is implementing the Companies Act, 2013, has amended the Companies (Incorporation) Rules, 2014.

In the rules, changes have been made with respect to allotment of a new name to an existing company under Section 16 of the Act.

Section 16 relates to rectification of a company name subject to various conditions, including that the government may direct changing a firm's name if it is identical with or too nearly resembles the name of an existing company. In case such a direction is issued, the same has to be implemented by the company concerned within three months.

Now, the ministry has put in place new rules wherein the tag of 'ORDNC' (Order of Regional Director Not Complied) would be attached to the name of the company that does not comply with the direction within the specified period.

For such companies, the letters "ORDNC (which is an abbreviation of the words 'Order of Regional Director Not Complied'), the year of passing of the direction, the serial number and the existing Corporate Identity Number (CIN) of the company shall become the new name of the company without any further act or deed by the company," as per a notification.

Further, the Registrar of Companies will accordingly make the entry of the new name in the register of companies and issue a fresh certificate of incorporation, it added.

According to the ministry, once the company's name has been changed, then necessary steps should be taken to comply with Section 12 of the Act that pertains to registration of a firm.

As per the new rules, 'ORDNC' should be "mentioned in brackets below the name of company, wherever its name is printed, affixed or engraved".

In another notification, the ministry said provisions of Section 4 of the Act would come into force from September 1, 2021. Section 4 pertains to memorandum of companies.

The notifications were issued on July 22.

At the end of June, there were 13.7 lakh registered companies that were active in the country. Out of them, more than 17,200 new companies were set up during April to June this year.

औद्योगिक मंजूरी के लिए एकल खिड़की में दिसंबर तक पूरा देश

केंद्र सरकार की पहल के तहत दिसंबर तक देश के सभी राज्यों को औद्योगिक मंजूरी के लिए बनी जीआईएस आधारित एकल खिड़की प्रणाली में किया जाएगा। इसके तहत निवेशकों को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए जमीन खरीद से लेकर विभिन्न व्यवसायों और उद्योगपतियों से जुडी सभी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।

अब तक पहले चरण के तहत इस प्रणाली में 17 राज्य ही शामिल थे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह एक ऐसा मंच होगा जहां औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुडी सभी जानकारी, कनेक्टिविटी, इंफ़्रा, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, खाली भूखंडो का विवरण आदि उपलब्ध रहेंगे। अभी 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले करीब 4000 औद्योगिक पार्कों का ब्योरा इस एकल खिड़की पर मौजूद है।

बिजली से जुडी सभी सेवाए होंगी ऑनलाइन

बिजली से जुडी सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी, इससे उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने, ख़राब मीटर बदलने, बिल ठीक कराने, लोड बढ़वाने या कम करवाने, नाम-पते में सुधार आदि के लिए बिजली दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पावर कारपोरेशन के एप पोर्टल पर इन सेवाओं के लिए आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। यही ही नहीं उपभोक्ता सेवाओं को अब जेई

से लेकर कॉर्पोरेशन के चैयरमेन तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) से जोड़ा जाएगा। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उपभोक्ता सेवाओं को जल्द ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।

बिजली समस्या का निस्तारण न हो तो यहां करे शिकायत

अगर आपकी बिजली समस्या का समाधान बिजली विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे है, इसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ रहे है, बिजली का बिल सही नहीं आ रहा है तो आप विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का दरवाजा खटखटा सकते है। यहां आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। यहां पर 50 रूपये के पोस्टल आर्डर के साथ शिकायत करनी होगी। मेडिकल उपकेंद्र पर बने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मेरठ के चेयरमेन ओपी अग्रवाल, सचिव सदस्य अरब सिंह और सदस्य तकनीकी एसी श्रीवास्तव है।

मोबाइल कंपनियों की तरह मिलेगा विकल्प, बिजली कंपनी आप बदल सकेंगे

उपभोक्ता बहुत जल्द मोबाइल कंपनी की तरह बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी चुन सकेंगे। इसमें एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे उपभोक्ता के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा। यह कानून विद्युत उपभोक्ता को निर्बाद आपूर्ति के साथ ही दूसरी सुविधाएं देने का भी रास्ता साफ़ करेगा। यह विधेयक बिजली क्षेत्र में क्रॉस सब्सिडी को खत्म करने और बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि इसमें कंपनियों पर अक्षय ऊर्जा खरीद की शर्त कड़ाई से लागू की जाएगी। इसके अलावा विधेयक में क्रॉस सब्सिडी यानी एक वर्ग में ऊंचा मूल्य लेकर दूसरे वर्ग के सस्ती दर पर बिजली देने का अंतर 20% से कम रखने की नीति अनिवार्य की जाएगी।

बजट में वित्त मंत्री ने किया था एलान :

इस साल बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार ग्राहकों को अब यह सुविधा देगी जिससे वह अपनी मनमर्जी से बिजली कंपनियों को चुन सकेंगे। इसके तहत बिजली उपभोक्ता को एक से अधिक बिजली आपूर्ति कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रुपरेखा तैयार की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बिजली उपभोक्ता को कंपनियों का विकल्प देने के लिए नियम बनाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा।

इस पहल से सस्ती बिजली का रास्ता साफ़ होगा :

मौजूदा समय में बिजली एक्सेंज पर की दर तीन रूपये प्रति यूनिट से कम है जबकि कंपनिया उपभोक्ता से पांच से छह रूपये प्रति की दर से वसूल रही है। विशेषज्ञो का कहना है कि पुराने और लंबी अवधि के करार की वजह से मौजूदा बिजली कंपनियां दाम घटाने को तैयार नहीं है। नई कंपनियां मौजूदा बाजार भाव पर बिजली खरीदेंगी जिससे वह सस्ती पेशकश कर सकती है।

कंपनियों के लिए यह शर्त :

आपूर्ति कंपनियों को सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। इलाके में बिजली की वार्षिक औसत मांग को पूरा करने के लिए बिजली की बिक्री या खरीद का काम पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) के जरिए होगा। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा खरीदनी होगी।

इंडिया पोस्ट ने शुरू की नई सेवा, डाकघर में रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी

आयकर रिटर्न दाखिल अब ओर आसान हो गया है। आप अपने नजदीकी डाकघर में भी आईटीआर भर सकते है। भारतीय डाक विभाग ने कर दाताओं की सुविधा के लिए यह नई सेवा शुरू की है।

डाक विभाग अपने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) काउंटरों पर आयकर रिटर्न भरने का विकल्प दे रहा है, जो देशभर के लाखो वेतनभोगी करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट ने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि करदाता आसानी से पास के डाकघर सीएससी काउंटर पर आईटीआर सेवाओं का उपयोग कर सकते है।

गौरतलब है कि भारत में डाकघर के सीएससी काउंटर भारतीय नागरिको के लिए डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं जैसी कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंगल रिच पॉइंट के रूप में काम करते है।

इसके साथ ही लोग सीएससी काउंटरों के माध्यम से कई अन्य सरकारी लाभ और जानकारी प्राप्त कर सकते है। सरकारी स्थानीय डाकघर में स्थित इन सीएससी केन्द्रो के माध्यम से भारतीय नागरिको को कई अन्य ई-सेवाएं भी प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठा सके। अब आयकर रिटर्न भरने की नई सुविधाये छोटे कसबे और गांव में रह रहे लोगो को बड़ी राहत मिलेगी।

टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख को 31 जुलाई से बढाकर 30 सितम्बर 2021 कर दिया है। केंद्र सरकार ने कर दाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की सीमा बढ़ाई है।

वेबसाइट की भी ले सकते है मदद :

आईटीआर दाखिल करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट की भी मदद ले सकते है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सहूलियत देने के लिए नई वेबसाइट हालही में लॉन्च की है। नई वेबसाइट में करदाताओं को सहूलियत देने कई नॉलेज पैक शामिल किये गए है जिसकी मदद से आप अपना रिटर्न खुद भी कर सकते है। गलती होने पर आप उपभोक्ता अधिकारी से मदद लेकर उसे सुधार भी कर सकते है।

डाकिया आपके घर आकर आधार में अपडेट करेगा

अब आपके आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अब डाकिया भी आपके घर आकर आधार में मोबाइल अपडेट कर देगा।

इसके लिए आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ ख़ास करार किया है। यह सेवा पूरे देश में स्थापित 650 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नेटवर्क में कार्य कर रहे 1.46 लाख डाकिया के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस काम के लिए डाक विभाग डाकियों को हाईटेक स्मार्ट फोन दे रहा है। इसमें खास सॉफ्टवेयर ऐप की मदद से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए डाकियो को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है।

Crude import bill rises 190% to $25 billion in Q1FY22

The country's crude oil import bill has increased 190.6% year-on-year to $24.7 billion in Q1FY22 with rising prices of the commodity in the international market and higher procurement volumes with demand for auto fuels returning. The volume of crude oil imported in the quarter, at 51 million tonne, was 14.7% higher than the same period last year. The average price of the Indian basket of crude oil in Q1FY22 was $68.6 per barrel, against the average rate of $30.4 per barrel recorded in Q1FY21.

The rise in crude prices was mainly supported by global demand recovery and voluntary production cuts until July end from major oil exporting nations. Global crude prices have started to come down after the Opec plus group, agreed to increase crude oil output by 0.4 million barrels per day from August to December end. Following the announcement, crude has corrected from the recent highs of $77/barrel to the current level of around $68/barrel.

Owing to lower demand amid lockdowns to control the coronavirus pandemic, crude imports had dropped 12.7% annually to 198.1 MT in FY21, while the value of the imports fell at a much sharper rate of 32.2% to $62.7 billion as global crude prices remained largely muted throughout the first half of the fiscal. As much as 85% of the country's requirement of crude oil is dependent on imports.

With rising crude prices, retail price of petrol crossed the Rs 100-mark in Delhi for the first time on July 7, as state-run oil marketing companies gradually increased the base

price of the product. Petrol was being sold at Rs 101.84 per litre in the national capital while diesel was priced at Rs 89.87 per litre. Although global crude prices in the past have been higher than the current levels, the current record-high retail price is largely the impact of the Centre cumulatively increasing surcharge and cess on petrol by Rs 13/litre in March and May 2020.

In fact, when the price of the Indian basket of crude had crossed $80 per barrel in October 2018 in the run up to the legislative assembly elections of Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan, petrol and diesel were sold at around Rs 82 per litre and Rs 75 per litre. Analysts noted that even at current record-high prices, the marketing margin oil marketing companies (OMCs) is currently at only Rs 0.2 per litre for petrol and Rs 2.9 per litre for diesel. "If OMCs retain the benefit of the sharp correction in crude, we see normative margins on diesel at Rs 5.7 per litre and on gasoline (petrol) at Rs 3.5 per litre," Jefferies said

India targeting 20% ethanol-blending with petrol by 2023-24: Piyush Goyal

India has set a target of 20 per cent ethanol-blending with petrol by 2023-24 and the ultimate goal is to have 100 per cent ethanol-run vehicles, Commerce and Industry Minister Piyuh Goyal said.

He said battery technologies are going to be very important for sustainability mission and for renewable energy to progress more and for that the country is investing heavily on batteries now.

"By 2023-24, India is going to be 20 per cent blending ethanol in our petrol products. Our ultimate target is to also have vehicles which can take up to 100 per cent ethanol.

The minister said electric car users will be encouraged to recharge their batteries using renewable energy or solar energy during day hours, for which "we are looking at a big rollout of charging stations across gas stations in the country".

From an overall renewable energy target of 175 GW by 2022, India is now looking at 450 GW by 2030, Goyal added.

पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में चैम्बर ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र

वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही प्रत्येक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और तेजी से बेहतरी की ओर है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करना होगा। संगठन ने सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अनुरोध किया कि पेट्रोल/डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाए व उत्पाद शुल्क में कमी की जाए।

सड़को और उसके किनारे की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन

देश के समस्त राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य राजमार्गो, जिला सड़को और उनके किनारे सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार रोड एसेट मैनेजमेंट (आरएएम) सिस्टम के तहत देश के विशालकाय रोड डाटा बैंक का एक प्लेटफॉर्म लाना चाहती है।

सॉफ्टवेयर विकसित किया रहा :

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) के निदेशक संजीव कुमार को आरएएम सिस्टम का काम सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। राजमार्ग की एकमात्र सरकारी अकादमी सड़क निर्माण, मरम्मत, ब्रिज-टनल, प्लानिंग, नीतिगत मुद्दे व इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने का काम करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरएएमएस नाम का नया सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसमें न्यूज़ीलैंड कंसल्टेंट की मदद ली जा रही

है। परिवहन मंत्रालय, NHAI, NHAIDCL, BRO, PWD आदि एजेंसियो की सड़को का विवरण व दूसरी जानकारियां उक्त सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाएंगी।

आरएएम स्वतंत्र इकाई :

आरएएम एक स्वतंत्र इकाई होगी। इसका संचालन आईएएचई करेगी। आईएएचई तमाम डाटाबैंक का विश्लेषण कर राजमार्गो का संचालन, रखरखाव, अपडेट व अपग्रेड करने की अग्रिम योजना बनाएगी। अकादमी के निदेशक कुमार आरएएम संबंधी सूचनाएं सीधे सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरधर अममाने को रिपोर्ट करेंगे। इससे उक्त योजना की महता समझी जा सकती है।

राजमार्गो के किनारे नए शहर बसाने की तैयारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गो के पास स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक संकुल के निर्माण की अनुमति के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा। उनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर राजमार्ग नेटवर्क तैयार करना है। राजमार्ग मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा के लिए पूंजी प्राप्त करने को लेकर मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को बाजार पर चढाने की योजना तैयार की है। गडकरी ने कहा कि हम सड़को के किनारे लोगो की आरामदायक यात्रा के लिए 400 से अधिक विभिन्न प्रकार की सुविधाएं तैयार कर रहे है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय 2.5 लाख करोड़ रूपये की सुरंगे बनाने की योजना बना रहा है। गडकरी के अनुसार नवोन्मेष और अनुसंधान के माध्यम से गुणवत्ता से समझौता किए बिना सड़क निर्माण में स्टील और सीमेंट का उपयोग कम किया जाना चाहिए। सड़क उपकरण मशीनरी में सीएनजी, एलएनजी और एथेनॉल उपयोग किया जाना चाहिए।

वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर :

गडकरी ने आयात में कमी लाने, लागत प्रभावी, प्रदुषण मुक्त और स्वदेशी तौर-तरीको तथा वैकल्पिक ईंधन के विकास पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि लगभग 63 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए बुनियादी ढांचा विकास में 111 लाख करोड़ रूपये का निवेश कर रही है। सालाना बुनियादी ढांचा के लिए व्यय 34% बढाकर 5.54 लाख करोड़ किया है।

पोर्टल के जरिये घर बैठे मिलेंगी कई सेवाएं

अगर आपको प्लंबर, मिस्त्री, ब्यूटीशियन, पेंटर, कारपेंटर, ड्राइवर आदि सेवाएं चाहिए तो यूपी सरकार का सेवामित्र पोर्टल www.sewamitra.up.gov.in इसमें मददगार साबित हो रहा है। इस पोर्टल के जरिए उचित दर पर विभिन्न क्षेत्रो के प्रशिक्षित व विश्वसनीय लोगो की सेवाएं ली जा सकती है। अभी इस पोर्टल की सुविधा लखनऊ समित प्रदेश के चार जिलों उपलब्ध है। इसी महीने अन्य जिलों में भी यह सुविधा काम करने लगेगी।

इस पोर्टल के जरिए कुशल कारीगरों को रोजगार आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए सेवामित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लाखो बेरोजगारों को अभियान चलाकर पंजीकृत किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर के जरिये प्रदेश के कौशल प्राप्त बेरोजगार विभिन्न तरह की सेवाएं लोगो को उनके घर पर उपलब्ध कराएंगे।

जिलाधिकारी करेंगे निगरानी :

सभी जिलों के डीएम अभियान चलाकर सेवामित्र पोर्टल पर कौशल प्राप्त तथा हुनरमंद अभ्यार्थियों के पंजीकरण का अभियान चलाएंगे। इसके लिए डीएम के स्तर पर बनी कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह जिला स्तर पर इच्छुक सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी व प्रशिक्षण संस्थानों से कौशल प्राप्त और हुनरमंद अभ्यार्थियों का पंजीकरण अभियान चलाए और इस काम की नियमित निगरानी करे।

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराये श्रमिक

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल www.upssb.in शुरू किया है। अपर श्रम आयुक्त बीके राय ने कहा कि अगर 18 से 60 वर्ष तक की आयु के श्रमिक विभागीय योजनाओं का लाभ लेना चाहते है तो वह इस पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराये।

राय ने बताया कि मुख्यमंत्री जान आरोग्य योजना के तहत बिमारी की स्थिति में सरकारी अस्पतालों व बोर्ड द्वारा चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रूपये की सीमा तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी प्रकार की दुर्घटना में 25 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में 50 हज़ार रूपये, 50 प्रतिशत की दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख और पूर्ण शारीरिक अक्षमता दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँख या एक पैर एक आँख की क्षति हो जाने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा श्रमिक के आश्रित को 2 लाख रूपये की सहायता दी जाएगी। इन योजनाओं में शामिल होने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन, किसी जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी के माध्यम से कराया जा सकता है।

हवाई जहाज उड़ाना सिखाएगा मेरठ

शताब्दीनगर स्थित डॉ अंबेडकर हवाई पट्टी के किनारे फ्लाइंग क्लब यानी पायलट प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है। पायलटो को प्रशिक्षित करने के जिन एयरक्राफ्ट को रखा जाएगा उन्हें एक विशेष पार्किंग में खड़ा किया जाता है, जिसे तकनिकी भाषा में हैंगर बोला जाता है। हैंगर का निर्माण कर लिया गया है। यहां तीन से अधिक एयरक्राफ्ट रहेंगे। देश-विदेश में विभिन्न विमानन कंपनियों में काम कर चुके पायलट प्रशिक्षण देंगे। मेरठ में हवाई उड़ान सेवा शुरू होने में भले ही देरी हो रही है, लेकिन हवा में विमान उड़ाते कैसे है इसका प्रशिक्षण जल्द शुरू हो जाएगा।

गोपनीय रखी गई है तैयारी :

फ्लाइंग क्लब कौन सी कंपनी खोलने जा रही है, कब से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा इसकी जानकारी अभी गोपनीय रखी गई है। जब यहां निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तब संबंधित कंपनी इस परियोजना को सार्वजनिक करेगी। प्रशिक्षण कोर्स व शुल्क के बारे में विज्ञापन जारी करने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।

XXXXXXXXXXXXX